न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी डॉ. मोहन लाल यादव, आई.ए.एस.

राजेश कुमार कोली उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत सौमला तहसील हिण्डौन जिला करौली — अपीलाण्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी करौली — रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.05.2019 न्यायालय जिला रसद अधिकारी करौली विभागीय मुकदमा नंबर 2019–20/30/–308 जिसकी रूह से प्राधिकार पत्र संख्या 268/07 ग्राम पंचायत सौमला को निरस्त किया गया है के विरूद्ध

निर्णय

दिनांक 30.10.2019

यह अपील राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 की धारा 22 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि दौराने निरीक्षण जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक करौली द्वारा मौके पर निरीक्षण करने की गलत रिपोर्ट पेश की है और उसी आधार पर प्राधिकार पत्र को निलंबित कर दिया गया है। शिकायतकर्ता द्वारा झूठी व गलत शिकायत की गई है। पोश मशीन पर अंगूठा लगाकर ही राशन सामग्री का वितरण उपभोक्ताओं को किया जाता है। प्रतिदिन दुकान खोली जाती है। किसी प्रकार का कोई दुरूपयोग नही किया है। अपीलाण्ट ने सम्पूर्ण गेंहू व चीनी को अटैच डीलर एफ.पी.एस. अस्थाई भुकरावली को दिनांक 03.09.2019 को 12 क्वि0 13 किलो गेंहू, 4 क्वि0 38 किलो चीनी देकर प्राप्ति रसीद प्रापत कर ली गई थी तथा दिनांक 05.04.2019 को 60 क्वि0 गेंहू सूरौठ ग्राम सेवा सहकारी समिति को सुपुर्द कर रसीद प्राप्त की एवं केरोसीन को अपीलाण्ट ने हिण्डौन के वार्ड नं. 11 में वितरण कर दिया गया है। उचित मूल्य सूची का स्टॉक बोर्ड पर प्रदर्शन कर दिया गया है एवं मोबाईल नंबर भी अंकित किये गये है। किसी प्रकार का कोई उल्लंघन नही किया गया है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब कर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

वकील अपीलाण्ट ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया है कि शिकायतकर्ता द्वारा झूठी एवं तथ्यहीन शिकायत पेश की गई थी जिसका कोई आधार नही है। प्रवर्तन निरीक्षक एवं जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना मौका सत्यापन किये ही फर्द मौका तैयार कर निर्णय दिनांक 28.05.2019 जारी किया गया है। जो भी स्टॉक में रसद सामग्री थी जिसे एफ.पी.एस. भुकरावली एवं सूरौठ सहाकारी समिति को सामग्री संभलाकर अपीलाण्ट ने रसीद प्राप्त की है तथा केरोसीन को हिण्डौन के वार्ड नं. 11 के उपभोक्ताओं मे वितरित कर दिया गया है। जिला रसद अधिकारी करौली द्वारा बिना किसी आधार पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो कानूनन गलत है। अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमायी जावें।

प्रवर्तन निरीक्षक पैरोकार सरकार ने बहस में कथन किया है कि जो निर्णय जिला रसद अधिकारी करौली ने दिनांक 28.05.2019 को दिया गया है वह विधिसम्मत है। प्रवर्तन

जिला कलक्टर
करौली

निरीक्षक द्वारा उचित मूल्य की दुकान का विधि अनुसार निरीक्षण किया गया था जिसका अपीलाण्ट/प्राधिकार पत्राधिकारी द्वारा राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ अधिनियम (वितरण का विनियमन) के नियमों का उल्लंघन करने पर प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो सही है। अपील अपीलाण्ट खारिज फरमाया जावें।

बहस उभय पक्षकारान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का गहनता से अवलोकन कर मनन किया तो पाया गया है कि जिला रसद अधिकारी एवं प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 24.02.2019 को जी.एस.एस. भुकरावली उचित मूल्य दुकान का निरीक्षण किया गया था जिसमें निरीक्षण प्रपत्र में स्टॉक पंजिका में रसद सामग्री शून्य पायी गयी तथा नियमों का पूर्ण उल्लंघन करना बताया गया है साथ ही अपने फर्द मौका में भी आमजन के सामने उपभोक्ताओं के पोश मशीन पर अंगूठा लगवाकर गेंहूओं को उपभोक्ताओं को नही देकर उधार करना बताया गया है और दुकान महिने में तीन से चार दिन ही खोलता है। शिकायतकर्ताओं के बयान लेने पर भी उन्होंनें डीलर द्वारा स्वेच्छा से दुकान खोलना एवं गेंहू नही देना बयान किया गया है। इस प्रकार से जिला रसद अधिकारी द्वारा जो निरीक्षण दिनांक 24.02.2019 को किया गया था इस संबंध में प्राधिकार पत्राधिकारी/अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर देने हेतु नोटिस जारी किया गया किन्तु ततसमय न तो उपस्थित है ना ही लिखित में जबाव पेश किया गया था। अपने निर्णय में राशनकार्डधारियेां को गेंहू एवं अन्य सामग्री उपलब्ध नही कराई गई तथा शेष रसद सामग्री का स्टॉक भी मौके पर उपलब्ध नही होना मानकर प्राधिकार पत्र निलंबित किया गया है जो विधिसम्मत है। मैं जिला रसद अधिकारी करौली के निर्णय में किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नही समझता हूं।

अतः अपील अपीलाण्ट सारहीन, तथ्यहीन होने के कारण खारिज की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी करौली को उनकी पत्रावली के साथ भिजवाई जावें।

निर्णय आज दिनांक 30.10.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ. मोहन लाल यादव)
जिला कलक्टर
करौली